

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-47/2017/1520/पांच-8-2017-जी0(272)/2016

लखनऊ : दिनांक 20 अप्रैल, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, 30प्र0 इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2016 में किये गये चयन के फलस्वरूप पत्र संख्या-34(II)/15/डी0आर0/सेवा-8/205-16, दिनांक 12-01-2017 में 31 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के अधीन निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 के नियम 18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
- 2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से शर्त क्रमांक-5 में निर्धारित अवधि में सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे।
- 3- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त का सत्यापन स्वयं करेगा। उसमें यदि कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें शासन स्तर से तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
- 4- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्तसमय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते

क्रमशः

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

आदि भी देय होंगे। उन्हें 30प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

- 5- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी दिनांक 19-05-2017 तक अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के समक्ष उपस्थित होंगे तथा शर्त क्रमांक-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे उक्त निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।
- 6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु चिकित्साधिकारियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 7- चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-
 - (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)
 - (2) अभियोजन न चलाये जाने, न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा चरित्र प्रागवृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आने पर सेवार्य समाप्त करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र (संलग्न प्रारूप पर)
 - (3) 30प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।
 - (4) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।
 - (5) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
 - (6) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
 - (7) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।
 - (8) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।
- 8- यदि नवनियुक्त चिकित्साधिकारी, शासनादेश संख्या-1273/चि0-3-2015-जी0-

क्रमशः

06/2013टी0सी0-1, दिनांक 26-05-2016 के माध्यम से अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र में स्थित पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 पर तैनाती का विकल्प देते हैं, तो उन्हें स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-564/चि0-3-2014-जी0-06/2013, दिनांक 28-02-2014 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सीटों के आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

- 9- संलग्न सूची में अंकित चिकित्साधिकारियों में से यदि कोई चिकित्साधिकारी पूर्व से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत है, तो उसे यह लिखित रूप में विकल्प देना होगा कि वह पूर्व में की गयी नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहना चाहता है या वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर। यदि किसी चिकित्साधिकारी द्वारा वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहने का विकल्प दिया जाता है, तो उसके द्वारा पूर्व में की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण हेतु नहीं की जायेगी।
- 2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

संलग्नक-तैनाती सूची एवं शपथ पत्र का प्रारूप।

वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

संख्या-47/2017/1520(1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को सर्व सम्बन्धितों को अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।
- 4- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किये गये

क्रमशः

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

चिकित्साधिकारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था करायें तथा चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये चिकित्साधिकारी के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

- 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका को इस निर्देश के साथ कि वे नियुक्त चिकित्साधिकारी को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 9- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

शिवगोपाल सिंह

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**कार्यालय ज्ञाप संख्या-47/2017/1520 /पांच-8-2017-जी0(272)/2016, दिनांक 20-04-2017 की
तैनाती सूची का संलग्नक-**

क्र सं.	चयन क्रमांक	अनुक्रमांक	चिकित्साधिकारी का नाम/पिता/पति का नाम/ पत्र व्यवहार का पता	श्रेणी	गृह जनपद	योग्यता/ विशेषज्ञता	प्रस्तावित तैनाती
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एस-15	52250115854	डा0 रवि कुमार जयसवाल/ पुत्र श्री रामदेव प्रसाद जयसवाल/ म0नं0-129, पुराना बरहज, जनपद-देवरिया-274601	ओ0बी0सी0	देवरिया	एम0बी0बी0एस0/ डी0सी0एच0	एफ0आर0यू0, निचलौल, महाराजगंज
2.	एस-20	52230111425	डा0 डिम्पल सोनी/पुत्री स्व0 श्री ताराचन्द्र/न्यू टाइप-4/1, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर-208002	एस0सी0	अलीगढ़	एम0बी0बी0एस0/ डी0जी0ओ0	एफ0आर0यू0, जलेसर, एटा
3.	एस-24	52250243272	डा0 अतुल कुमार गुप्ता/पुत्र श्री विरेन्द्र गुप्ता/322ए, शालीमार गार्डन,एक्सटेंशन-1, गाजियाबाद	ओ0बी0सी0	गाजियाबाद	एम0बी0बी0एस0/ डी0 आर्थी	प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट, बागपत
4.	एस-31	52250115465	डा0 नीशिता सिंह/पुत्री श्री रनवीर सिंह/निकट रोडवेज बस स्टेशन, शिकोहाबाद, जनपद-फिरोजाबाद	ओ0बी0सी0	फिरोजाबाद	एम0बी0बी0एस0/ डी0जी0ओ0	100 शैयया मैटरनिटी विंग, मैनपुरी
5.	एस-42	52230037609	डा0 पवन कुमार/पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह/ग्राम-लवेदी, पो0-मुडिया नवीबक्स, जनपद-बरेली	ओ0बी0सी0	बरेली	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 जि0 चि0, शाहजहांपुर
6.	एस-150	52250208923	डा0 प्रेम नारायन/पुत्र श्री जय प्रकाश नारायन/भटपार रानी जनपद-देवरिया	ओ0बी0सी0	देवरिया	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 जि0 सं0 चि0, कुशीनगर
7.	एस-155	52250118249	डा0 रामकृष्ण वर्मा/पुत्र श्री अमरनाथ वर्मा/ग्राम-महजूदा, पो0-भोर्ज, जनपद-भदोही-221404	ओ0बी0सी0	भदोही	एम0बी0बी0एस0	अधीन मु0चि0अ0, कौशाम्बी
8.	एस-169	52230024697	डा0 अंजली रावत/पुत्री श्री अजय कुमार गुजर/से0-8ए/266, वृन्दावन योजना-2, रायबरेली रोड, तेलीबाग, लखनऊ	एस0सी0	लखनऊ	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय, हरदोई

क्रमशः

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

9.	एस-172	52250037237	डा0 अजीत सिंह/पुत्र श्री संजय सिंह/ग्राम व पो0-मुबारिकपुर, जनपद-हापुड़	ओ0बी0सी0	हापुड़	एम0बी0बी0एस0	अधीन मु0चि0अ0, शामली
10.	एस-176	52250091712	डा0 प्रतीक रस्तोगी/पुत्र श्री एन0एल0 रस्तोगी/ए/2, राज इनक्लेव, विद्यानगर, हरथला, मुरादाबाद	ओ0बी0सी0	मुरादाबाद	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट, अमरोहा
11.	एस-185	52250140771	डा0 गम्भीर सिंह तालियान/पुत्र श्री जय भगवान तालियान/म0नं0-364, ग्राम व पो0-छोर, जनपद-मेरठ	ओ0बी0सी0	मेरठ	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट, बागपत
12.	एस-231	52250195595	डा0 दिनेश कुमार यादव/पुत्र श्री महेन्द्र कुमार यादव/ ग्राम-पुरा अंधरी, पो0-रानीपुर, जनपद-जौनपुर-223104	ओ0बी0सी0	जौनपुर	एम0बी0बी0एस0	अधीन मु0चि0अ0, अमेठी
13.	एस-246	52230132516	डा0 दीपक कुमार/पुत्र श्री दुर्गा सिंह/रूम नं0-9, ओल्ड पी0जी0 हास्टल, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर	एस0सी0	बिजनौर	एम0बी0बी0एस0/ एम0एस0 जनरल सर्जरी	जि0चि0, मुरादाबाद
14.	एस-273	52250072805	डा0 देवेश चौधरी/पुत्र श्री जगवीर सिंह/ग्राम व पो0-नांगलजट, जनपद-बिजनौर-246726	ओ0बी0सी0	बिजनौर	एम0बी0बी0एस0	अधीन मु0चि0अ0, रामपुर
15.	एस-344	52250064763	डा0 नुपुर गुप्ता/पुत्री श्री विशम्भर नाथ गुप्ता/701-एक्स, हरिद्वार पुरम(फेज-1), पो0-अरोग्य मन्दिर(चेतना फैक्टरी के पीछे) राप्तीनगर, गोरखपुर-273003	ओ0बी0सी0	गोरखपुर	एम0बी0बी0एस0	अधीन मु0चि0अ0, महाराजगंज
16.	एस-355	52250120005	डा0 मो0 परवेज/पुत्र श्री मो0 फारूक/वाई नं0-8, सलावट टोला, हांडिया, इलाहाबाद-221503	ओ0बी0सी0	इलाहाबाद	एम0बी0बी0एस0	अधीन मु0चि0अ0, भदोही
17.	एस-388	52230038751	डा0 दीपक कुमार दौनारिया/पुत्र श्री हरी शंकर/808/5, आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा, आगरा-282007	एस0सी0	आगरा	एम0बी0बी0एस0	अधीन मु0चि0अ0, मैनपुरी

क्रमशः

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

18.	एस-389	52250054711	डा0 राजीव जायसवाल/पुत्र श्री राज कुमार जायसवाल/297ई, श्याम कुंज कालोनी, कौवाबाग, चौकी, गोरखपुर-273001	ओ0बी0सी0	गोरखपुर	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 जि0 चि0, कुशीनगर
19.	एस-398	52250179189	डा0 विवेक कुमार/पुत्र श्री जगत सिंह/एस0एफ0-2, प्लाट नं0-41, जानखण्ड-1, इन्द्रपुरम, गाजियाबाद-201001	ओ0बी0सी0	गाजियाबाद	एम0बी0बी0एस0	अधीन मु0चि0अ0, बुलन्दशहर
20.	एस-399	52250003902	डा0 विजय सरन/पुत्र श्री लल्लू सिंह/ओमकार सरन गर्ल्स इन्टर कालेज, शिवनगर जयन्तीपुर रोड, मुरादाबाद-244001	ओ0बी0सी0	मुरादाबाद	एम0बी0बी0एस0	अधीन मु0चि0अ0, बरेली
21.	एस-455	52250198024	डा0 निधि भारती/पत्नी श्री कपिल राठी/रामलीला ग्राउण्ड कालोनी, लैण्ड-2, म0नं0-252, बिजनौर	ओ0बी0सी0	बिजनौर	एम0बी0बी0एस0	अधीन मु0चि0अ0, अमरोहा
22.	एस-493	52250238924	डा0 पूर्णिमा सिंह/पुत्री श्री कन्हई सिंह/एस0पी0-1/304, गुलमोहर इन्कलेव, राकेश मार्ग, नेहरूनगर-3, गाजियाबाद	ओ0बी0सी0	गाजियाबाद	एम0बी0बी0एस0	अधीन मु0चि0अ0, बुलन्दशहर
23.	एस-506	52250108419	डा0 दिव्या सिरोही/पुत्री श्री रवीन्द्र कुमार/से0-4, म0नं0-79, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद-201001	ओ0बी0सी0	गाजियाबाद	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट, बागपत
24.	एस-514	52250138305	डा0 इसरार आलम/पुत्र श्री मेंहदी हसन/नागफनी रोड, सैनी स्ट्रीट, मो0-किसरोल, मुरादाबाद-244001	ओ0बी0सी0	मुरादाबाद	एम0बी0बी0एस0	अधीन मु0चि0अ0, सम्भल
25.	एस-567	52250186676	डा0 शशी बाला भडाना/पत्नी श्री विवेक कुमार/22, इंस्टीटयूशनल एरिया, नालेज पार्क-1, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर	ओ0बी0सी0	गौतमबुद्ध नगर	एम0बी0बी0एस0	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर
26.	एस-574	52250065018	डा0 राव/पुत्र श्री भोला नाथ/ग्राम-हसिया, पो0-सरसरा, जनपद-जौनपुर-222162	ओ0बी0सी0	जौनपुर	एम0बी0बी0एस0	अधीन मु0चि0अ0, भदोही
27.	एस-669	52250091359	डा0 राघवेन्द्र सिंह वर्मा/पुत्र श्री अमर सिंह वर्मा/ग्राम-हरकूपुर, पो0-निलोई, जनपद-इटावा-206245	ओ0बी0सी0	इटावा	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 जि0चि0, औरैया

क्रमशः

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

28.	एस-714	52250051468	डा0 जमशीद रईस/पुत्र श्री रईस अहमद/मो0-घरेपक्षेरिया, निकट बाजार लकड़ा, जनपद-अमरोहा-244221	ओ0बी0सी0	अमरोहा	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 जि0चि0, सम्भल
29.	एस-781	52250197344	डा0 शिवम यादव/पुत्र स्व0 श्री परमहंस यादव/199-एस, जनपद-गोरखपुर-273004	ओ0बी0सी0	गोरखपुर	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 जि0चि0, देवरिया
30.	एस-943	52230112992	डा0 संजीव कुमार/पुत्र श्री हीरा लाल/4/382, विराम खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ	एस0सी0	लखनऊ	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय, हरदोई
31.	एस-951	52250075051	डा0 देशपाल नागर/पुत्र श्री रोहताश सिंह/ग्राम-भुड़ा, से0-81, नोएडा, पो0-नसेज, फेज-2, गौतमबुद्धनगर	ओ0बी0सी0	गौतमबुद्ध नगर	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 जि0चि0, बुलन्दशहर

शिवगोपाल सिंह
अनु सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

चरित्र प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि डा0-----पुत्र श्री-----
निवासी-----

को विगत-----वर्षो/माह में व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मेरे संज्ञान में ऐसे कोई तथ्य नहीं हैं, जो इनके प्रतिकूल हो।

डा0-----मेरे निकट सम्बन्धी नहीं है, उनके उत्कृष्ट चरित्र एवं प्राग्वृत्त के अनुसार उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

हस्ताक्षर-----

निवासी-----

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत एलापैथिक चिकित्साधिकारी के पदों पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2016 में चयनित चिकित्साधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप।

समक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक-----शपथ पत्र डा0-----
----- पुत्र श्री/डा0-----निवासी-----जनपद-----
-----में डा0----- शपथकर्ता उपरोक्त निम्नलिखित बयान करता हूँ:-

1. यह कि शपथकर्ता की नियुक्ति शासन के कार्यालय ज्ञान संख्या-----
दिनांक -----द्वारा उ0प्र0 प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत
एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के सामान्य उपसंवर्ग के पद पर नियुक्त करते हुए मुख्य
चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक-----के अधीन
तैनात किया गया है।
2. यह कि शपथकर्ता के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला अथवा अन्य कोई ऐसा मामला लम्बित
अथवा विचाराधीन नहीं है, जो उसे उक्त पद पर योगदान करने अथवा शासकीय सेवा करने के
लिए आयोग्य ठहराता हो।
3. यह कि शपथकर्ता के चरित्र एवं प्राग्वृत्त संगठन का सदस्य नहीं है।
4. यह कि शपथकर्ता के चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन में कोई अन्यथा तथ्य एवं प्रतिकूल तथ्य पाये
जाने की दशा में मेरी नियुक्ति निरस्त कर विधि समस्त कार्यवाही की जाती है, तब प्रश्नगत
नियुक्ति/तैनाती के सम्बन्ध में कोई अधिकार/दावा/क्षतिपूर्ति क्लेम नहीं करूँगा और उ0प्र0 शासन
को अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये मेरी नियुक्ति निरस्त/समाप्त कर दें।

दिनांक-----

सत्यापन

में डा0-----शपथकर्ता ईश्वर की शपथ लेकर/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि उक्त
शपथ-पत्र के प्रस्तर-1 से 4 के तथ्य मेरे निजी ज्ञान में सच व सही है, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया
है। ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक-----

(शपथकर्ता)